

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
सूचना / विज्ञप्ति

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती-2018

संख्या:पीआरपीबी:एक-1(112)2017

दिनांक: जनवरी 14 ,2018

1.1- उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी, पे बैण्ड-5200-20200 ग्रेड पे-2000 नये वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रू0 21700/- के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

(क) आरक्षी नागरिक पुलिस

| क0सं0 | श्रेणी | पदों की संख्या |
|-------|------------------|----------------|
| 1 | अनारक्षित | 11761 |
| 2 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 6350 |
| 3 | अनुसूचित जाति | 4939 |
| 4 | अनुसूचित जनजाति | 470 |
| योग | | 23,520 |

(ख) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी

| क0सं0 | श्रेणी | पदों की संख्या |
|-------|------------------|----------------|
| 1 | अनारक्षित | 9000 |
| 2 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 4860 |
| 3 | अनुसूचित जाति | 3780 |
| 4 | अनुसूचित जनजाति | 360 |
| योग | | 18000 |

1.2- आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर भर्ती के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थी इस पद पर भर्ती हेतु पात्र नहीं है।

1.3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 05 प्रतिशत, होमगार्ड्स के लिये 05 प्रतिशत तथा आरक्षी नागरिक पुलिस में महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जायेगा।

2-ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी-

| क0सं0 | विवरण | तिथि |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 1 | आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि | 22-1-2018 |
| 2 | आवेदन करने की अन्तिम तिथि | 22-02-2018 |
| 3 | आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि | 23-02-2018 |

3-आवेदन शुल्क-

इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रू 400/- (रुपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान निम्न माध्यमों से किया जा सकता है:-

- (1)-ऑनलाइन-डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग के द्वारा या
- (2)-आफलाइन-ई-चालान का उपयोग करके।

4-आरक्षण- भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य होगा।

5- आयु:-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

- (1)- पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1996 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए।
- (2)- महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1993 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

6-शैक्षिक अर्हता-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

7-भर्ती प्रक्रिया-

यह चयन 'उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2017 एवं उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित)' के अधीन किया जायेगा। इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची के चरण होंगे।

(1)-लिखित परीक्षा-

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्नपत्र होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरूचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(2)– दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण

लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जायेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा में अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित मूल अभिलेख होने आवश्यक हैं :-

- क-** शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी मूल अभिलेख व आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र
दसवीं एवं बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
- ख-** अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख (यदि कोई हो तो)–
- (1)–डोएक/नाइलिट सोसाइटी से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का प्रमाण पत्र या
 - (2)–प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या
 - (3)–राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र
- ग-** आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)–
- (1)–उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण-पत्र
 - (2)–अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में (01 अप्रैल, 2017 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिये।
 - (3)–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में (इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि या इससे पूर्व) निर्गत होना चाहिये।
 - (4)–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप निर्गत होना चाहिये।
 - (5)–भूतपूर्व सैनिक के लिये यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन' निर्गत होना चाहिये।
 - (6)–जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स द्वारा निर्गत सेवा प्रमाण पत्र। आवेदन की अन्तिम तिथि को होमगार्ड्स से कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिये।
 - (7)–आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये।

अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक निम्नवत है :-

(1)–पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक :-

(एक) ऊंचाई :

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 168 से०मी० होनी चाहिये।

(ख) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 से०मी० होनी चाहिये।

(दो) सीना :

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने की मप 79 से०मी० बिना फुलाने पर और कम से कम 84 से०मी० फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 से०मी० बिना फुलाने पर और अन्यून 82 से०मी० फुलाने पर होना चाहिये।

टिप्पणी : न्यूनतम 05 से०मी० सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2)–महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक :-

(एक) ऊंचाई :

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152 से०मी० होनी चाहिये।

(ख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 147 से०मी० होनी चाहिये।

(दो) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम

(3)–शारीरिक दक्षता परीक्षण

दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड़ अधिकतम 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि०मी० की दौड़ अधिकतम 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी।

(4)–चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची

शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जायेगी और उसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा। विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदनोपरान्त

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अध्यक्षीन नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम होंगे।

8- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना-

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा लागू निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है:-

क- शैक्षिक अर्हता/आयु प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख-

दसवीं एवं बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

ख- अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख(यदि कोई हो तो)-

(1)-डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का प्रमाण-पत्र या

(2)-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या

(3)-राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र।

ग- आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)-

(1)-उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र

(2)-अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में (01 अप्रैल, 2017 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिए।

(3)-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में (इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व) निर्गत होना चाहिए।

(4)-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में निर्गत होना चाहिए।

(5)-भूतपूर्व सैनिक के लिये यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन' निर्गत होना चाहिये।

(6)-जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स द्वारा निर्गत सेवा प्रमाण पत्र। आवेदन की अन्तिम तिथि को होमगार्ड्स में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए।

(7)-आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।

(8)-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

घ- फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम रंगीन फोटो और हस्ताक्षर। रंगीन फोटो का आकार 35 मि०मी० (1.4इंच)X45 मि०मी० (1.75 इंच) का होना चाहिए जिसमें फोटो का लगभग 70 प्रतिशत भाग चेहरे से आच्छादित हो। अभ्यर्थी 3.5 से०मी० चौड़ा व 1.5 से०मी० लम्बे कागज के टुकड़े पर काली

स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर JPEG, JPG, JPE के प्रारूप में स्कैन करेंगे जिसका आकार 5KB से अधिक व 20KB से कम होना चाहिये।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन में की गयी सभी प्रविष्टियां और अपलोड किये गये फोटोग्राफ व हस्ताक्षर सही है और बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप है। यदि इनमें कोई कमी जैसे फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है अथवा बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप नहीं है अथवा आवेदन में की गयी प्रविष्टियां परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय प्रस्तुत किये गये पहचान पत्र से मेल नहीं खाती हैं तब उसे परीक्षा में प्रवेश और सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9- इस भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना/विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट <http://prpb.gov.in> पर उपलब्ध है।

अपर सचिव (भर्ती)
उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।